



Neutral Citation No.- 2026:AHC:63929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5675 वर्ष 2026

कृष्ण शंकर गिरि

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	दिनेश कुमार दुबे, सुनील कुमार दुबे
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. यह आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदक द्वारा परिवाद मामला संख्या 103 वर्ष 2023 (भैया लाल प्रजापति बनाम कृष्ण शंकर गिरि) में दिनांक 26.02.2024 के समन आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन शाहगंज, जिला जौनपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचम, जौनपुर की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दोनों पक्षों के बीच धन का विवाद है और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि धन के भुगतान को लेकर विवाद है, इसलिए आपसी समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रबल संभावना है।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) एससीसी 663 में प्रकाशित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 को नीचे उद्धृत किया है:-

“17. हाल ही में प्रकाशित एक समीक्षा में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138, परक्राम्य लिखित अधिनियम विषय पर विधि सुधारों के संबंध में कुछ विचार - मामलों के अंबार से निपटना] (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर] :

“.....अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (शिकायतकर्ता के संदर्भ में) दंड प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करने का साधन है। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से चेक जारीकर्ता को जेल भेजने की बजाय धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी मात्र वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहाँ तक आरोपी के जेल जाने की इच्छा का सवाल है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम दर्ज की गई शिकायतों की संख्या की जांच करें, जिसमें एक तरफ अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निपटान' किए गए शिकायतों की संख्या और दूसरी तरफ उन मामलों की संख्या की जांच करें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए और केवल नगण्य संख्या में मामले ही आगे बढ़े।”

18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, उपचार के दंडात्मक पहलू की तुलना में क्षतिपूर्ति पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां विद्वान महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या सुलह के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। समस्या यह है कि वादकारी अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से सुलह का विकल्प चुनते हैं.....

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार शिकायत का संज्ञान लेते ही समझौता करने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में समझौता करना चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि



आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और समझौता का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता न बचा हो। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समझौता करने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाती है। यदि आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में समझौते के माध्यम से अपराध का निपटारा या समझौता करने को तैयार है, तो यह आमतौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ सच्चाई का संकेत होता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही समझौता करना चुनें। हालांकि, यदि आरोपी के पास गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले की सुनवाई निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से की जा सकती है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी आज से एक महीने के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और समझौता के माध्यम से अपराध के निपटारे की मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत करे तथा चेक की राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा और आरोपी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए समय प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि तक का होगा। इसके बाद, न्यायालय दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के निपटारे के लिए अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे हाजिर होना होगा और मुकदमे का सामना करना होगा और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने की स्वतंत्रता होगी।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि के दौरान या आवेदन के आलोक में निर्णय दिये जाने तक, जो भी पहले हो, आरोपी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से धारा 528 बीएनएसएस के तहत यह आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस आवेदन का निस्तारण किया जाता है।



26 मार्च, 2026

एसकेडी

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।